International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 09 September- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

दलित उत्पीड़न पर क्या कहती है एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट"

डॉ.रमेश चंद बैरवा
सह आचार्य,राजनीति विज्ञान
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर

केंद्र सरकार के गृह सचिव श्री अजीत भल्ला ने 'नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो' की ताजा रिपोर्ट 'क्राइम इन इंडिया 2021' जारी की है। इस रिपोर्ट का अध्याय 7अ अनुसूचित जाति अर्थात दलितों के खिलाफ अपराध एवं अत्याचार की घटनाओं के आंकड़ों से संबंधित है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 तक के आंकड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर 45961,वर्ष 2020 में 50291 एवं वर्ष 2021 में 50900 अपराध दलितों के खिलाफ अपराध के मुकदमे दर्ज हुए। 13146 अपराधों के साथ उत्तरप्रदेश प्रथम,7524 की संख्या के साथ राजस्थान दूसरे एवं 7214 अपराधों के साथ मध्यप्रदेश तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर रहे बिहार में दलितों के खिलाफ 5842 अपराध दर्ज हुए। वर्ष 2019 से 2021 के 3 वर्षों में दलितों के खिलाफ अपराध दर राष्ट्रीय स्तर पर 10.7 प्रतिशत है। हरियाणा में 49%,कर्नाटक में 11%,केरल में 10.5%, मध्य प्रदेश में 36%,महाराष्ट्र में 16%,पंजाब में 20%,राजस्थान में 10.7%, तमिलनाडु में 20%, उत्तर प्रदेश में 11% और दिल्ली में 78% वृद्धि दर बताई गई है। आंध्र प्रदेश,बिहार,उत्तराखंड,पश्चिमी बंगाल में गिरावट दर्ज की गई है।

एनसीआरबी के आंकड़ों के विश्लेषण के मुताबिक वर्ष 2001 से 2021 के 20 वर्ष में दलितों के खिलाफ अपराध और अत्याचारों में 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 में दलित अपराधों की संख्या 33501 से बढ़कर 2021 में 50900 हो गई। दलितों की हत्या के प्रकरण 26 प्रतिशत बढ़े। रेप की घटनाएं 196 प्रतिशत बढ़ी। बलात्कार की घटनाएं 2001 में 1315 से बढ़कर 3893 हो गई अर्थात 196 प्रतिशत की शर्मनाक बढ़ोतरी देखी गई है। दलित महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में 566 की संख्या के साथ राजस्थान का स्थान प्रथम है। मध्यप्रदेश में 564,उत्तरप्रदेश में 559 एवं इनके बाद महाराष्ट्र में 395 घटनाएं रिपोर्ट की गई। मारपीट और चोट के प्रकरण 240 प्रतिशत बढ़े। जानबूझकर मानहानि और धमकी के राष्ट्रीय स्तर पर 1851 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से सबसे ज्यादा उत्तरप्रदेश में 1038,महाराष्ट्र में 115, आंध्रप्रदेश में 97 तथा राजस्थान में 47 प्रकरण दर्ज हुए है।

दलितों को उनकी जमीन से बेदखल करने के राष्ट्रीय स्तर पर 56 प्रकरण दर्ज हुए,लेकिन राजस्थान में एक भी घटना नहीं बताई गई है। सार्वजनिक स्थल के उपयोग से वंचित करने एवं घर से विस्थापित होने को मजबूर करने तथा सामाजिक बहिष्कार का एक भी प्रकरण राजस्थान में नहीं हुआ बताया है। दलित अपहरण, डकैती,लूटपाट,आगजनी की घटनाओं के भी शिकार होते रहे हैं।

यह भी गौरतलब है कि दलितों की शिकायतों में चार्जशीट दाखिल करने की दर राष्ट्रीय स्तर पर 80% है। उत्तर प्रदेश में 85%,मध्य प्रदेश में 99.5% है। राजस्थान में यह सिर्फ 50% है जो कि अत्यंत चिंताजनक है,जिसके बारे में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी कई बार चिंता प्रकट कर चुके हैं। मुकदमा झुंठा मानकर एफआर लगा दिए जाने के देश भर में 6279 प्रकरण बताए हैं जिनमें से अकेले राजस्थान में ही 3684 झूँठे मुकदमें बताए हैं।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 09 September- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

देश आजादी के 75 वर्ष पूरे कर चुका है। संविधान लागू हुए 72 साल हो चुके हैं। 'अमृतकाल' आगाज हो चुका है! "हर घर तिरंगा" फहरा कर गौरव गान कर चुके हैं। लेकिन बड़ी शर्मिंदगी होती है यह जानकर कि देश में प्रतिदिन 140 दलित उत्पीड़न के शिकार होते हैं। प्रतिदिन 3 दलितों की हत्या होती है। प्रतिदिन 11 दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते हैं। प्रतिदिन 42 दलितों के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाई जाती है जिनमें जानलेवा हमले भी हैं।

यह हाल तो तब है जब बड़ी संख्या में दलितों के साथ अत्याचार की रिपोर्ट थानों में जल्दी से दर्ज ही नहीं की जाती। बड़ी तादाद में एफआर कर मुकदमें झुंठे बता दिए जाते हैं,जिससे पीड़ित निराश होते हैं। यूपी,मध्यप्रदेश,राजस्थान और बिहार इन 4 राज्यों में ही भारत के दलित अत्याचार की 66% घटनाएं हो रही है। यूपी,मध्यप्रदेश और राजस्थान इन 3 राज्यों में अकेले 55% दलित अत्याचार घटना घटित हुई हैं। सभ्य समाज के लिए बड़े शर्म की बात तो यह है कि दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं में पिछले 20 वर्ष में 196 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। दलित महिलाओं के साथ रेप की घटनाओं में राजस्थान का स्थान प्रथम है।

संदर्भ

1. 'नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 'क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट, गृह मंत्रालय,भारत सरकार

2. राजस्थान पुलिस, क्राइम रिपोर्ट,जनवरी 2022